उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग–1
संख्या–4783/9–आ–1–2001–29 विविध/98 (आ0ब0)
लखनऊ : दिनांक 15 सितम्बर, 2001

कार्यालय ज्ञाप

ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1703 ए/9–आ–1–2001–29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 12.04.2001 के क्रम में आवास विभाग के अधीन कार्यरत विभागों/अभिकरणों के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल एवं कम लागत वाली उपयुक्त पद्धतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निम्न सदस्यों का एक ''स्टेण्डिग ग्रुप'' गठित किया जाता है :–

1–3 सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ :

श्री एम. मेहता, रीजनल डायरेक्टर,

श्री दलेल सिंह, सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, तथा सदस्य

श्री आर.बी.सिंह, सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट

4. मुख्य अभियन्ता, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद सदस्य

5. सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के वरिष्ठतम नगर नियोजक सदस्य

6. मुख्य वास्तुविद् नियोजक, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद सदस्य/सचिव

उपरोक्त स्टैण्डिंग ग्रुप द्वारा निम्न कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा :–

(i) रिचार्ज स्ट्रक्चर्स की प्लानिंग, डिजाइनिंग एंव इम्पलीमेन्टेशन हेतु गाइडलाईन्स तैयार करना,

(ii) विकास प्राधिकरणों तथा आवस एवं विकास परिषद द्वारा संदर्भित मानचित्रों में प्रस्तावित रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण,

(iii) नगरीय क्षेत्रों में विद्यमान प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों तथा झीलों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रयोजनार्थ पुनर्नवीकरण (Rejuvenation) हेतु उपाय सुझाना,

(iv) रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकियों पर आर्कीटेक्ट्स, इंजीनियर्स तथा अन्य प्रोफेसनल्स के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान करना।

स्टैण्डिंग ग्रुप की प्रथम बैठक यथाशीघ्र आयोजित करने हेतु सदस्य सचित द्वारा अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि रिचार्ज स्ट्रक्चर्स से सम्बन्धित मानचित्रों को लखनऊ में एकत्र करने, उनके परीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जा सके।

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव

संख्या 4783/9–आ–1–2001–29 विविध/98(आ0ब0)तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समिति के समस्त सदस्य।
2. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. डा. एस.के. शर्मा, सदस्य (एस.ए.एण्ड एम.) सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, जामनगर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
5. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव